कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 17/2019 (अपील)

उनवान

श्रीमती कृष्णा कुमारी आंगनबाडी कार्यकर्ता आ. केन्द्र देवली अरब सेक्टर स्टेशन, कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा, कोटा (सिटी)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्रीमती कृष्णा कुमारी (अपीलाण्ट स्वंय)

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय बाल विकास परियोजना कोटा शहर दिनांक 28.02.2019 कमांक 1907

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील रेस्पोडेण्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटा (सीटी) द्वारा मानदेय सेवा से पृथक करने के आदेश दिनांक 28.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। तथा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा शहर अपील पर टिप्पणी चाहे जाने पर उनके पत्रांक 114 दिनांक 15.05.2019 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को सुना गया।

3. अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट आंगनबाडी देवली अरब स्टेशन सेक्टर योजना कोटा शहर में आंगनबाडी केन्द्र पर आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में विगत 2006 से लगातार अपनी सेवाऐं देती आ रही हे। तथा विगत 12 वर्षो से सेवा के दौरान आज दिनांक तक प्रार्थिया की किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता एंव शिकायत नहीं पाई गई है। दिनांक 28.02.2019 पत्र कमांक 1907 विषय मानदेय सेवा से पृथक किऐ जाने के कम में प्रार्थिया को प्राप्त हुआ था तथा उक्त पत्र के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र का निरीक्षण श्री मान उपनिदेशक द्वारा दिनांक 27.09.20918 को प्रातः 9.13 ए.एम. पर दिनांक 4.10.2018 को 11 ए.एम. व दिनांक 9.10.18 को 10.40 ए.एम. पर तथा दिनांक 27.2.119 को किया गया था। उक्त पत्रानुसार सभी निरीक्षणों में केन्द्र पर बच्चे नहीं पाना जाना, पोषाहार नहीं पाया जाना, समयसारणी के अनुसार केन्द्र संचालन नहीं होना व रिकार्ड अपूर्ण पाया जाना तथा गंभीर अनियमितताओं के बारे में कथन किया गया है, प्रार्थिया को अपने कार्यो एंव कर्तव्यों के प्रति लापरवाही व घोर उदासीन बताया गया है। जो कि असत्य है। यह कि प्रार्थिया को अपने कार्य के प्रति लापरवाही एंव उदासोनता का दोषी मानते हुऐ तुरन्त प्रभाव से मानदेय सेवा से पृथक किया गया है जो कि न्याय के सुस्पष्ट सिद्धान्तों के अनुसार सर्वथा अनुचित व विधि अनुसार एक तरफा विद्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई है। प्रार्थिया को विधि अनुसार सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया जाकर एकतरफा कार्यवाही को अमल में लाया गया हे। जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थिया ने किसी भी प्रकार की अपने कार्य के प्रति लापरवाही व अनियमितता तथा उदासीनता आज दिनांक तक नहीं की है। अतः निवेदन है कि मानदेय सेवा से पृथक किऐ जाने के आदेश को निरस्त कर प्रार्थिया को बहाल करके सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करे।

4. अपीलाण्ट की अपील पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा शहर से पत्र कमांक 114 दिनांक 15.05.2019 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 28.02.2019 को पत्र कमांक 1908–1913 द्वारा प्रार्थिया को मानदेय सेवा से पृथक किया गया है, पत्र में निरीक्षण दिनांक को किऐ गये निरीक्षण में पाई गई कमियां सही है, केन्द्र पर बच्चे नहीं पाया जाना व रिकार्ड अपूर्ण पाया जाना पोषाहार आये बिना ही चालान पत्र भरा जाना गम्भीर अनियमितता में आता है, इससे कार्यकर्ता की लापरवाही व उदासीनता साबित होती है। दिनांक 27.09.18, 4.10,18, 9.10.18 को निरीक्षण के तहत सुधार का अवसर दिया गया किन्तु बार बार निरीक्षण के बाद भी सुधार नहीं हुआ व दिनांक 27.02.2019 को भी निरीक्षण के दौरान स्थिति असंतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के सम्बन्ध में नोटिस देकर जवाब चाहा गया था, किन्तु सुधार नहीं पाया गया, ना ही जवाब संतोषप्रद पाया गया। दिसम्बर 18 से फरवरी 19 तक श्री मान उपनिदेशक महोदय द्वारा तीन बार केन्द्र का निरीक्षण किया लेकिन तीनों बार केन्द्र पर अनियमितता पाई गई इस कारण तीसरे निरीक्षण पर श्रीमती कृष्णा कुमारी को आदतन लापरवाह मानते हुऐ मानदेय सेवा से पृथक किया गया।

5. अपीलाण्ट को सुना जाकर प्रस्तुत अपील पत्रावली एंव कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा शहर से प्राप्त उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में अपना मुख्यतः कथन यह है कि प्रार्थिया को विधि अनुसार सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया जाकर एकतरफा कार्यवाही को अमल में लाया गया हे। जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थिया ने किसी भी प्रकार की अपने कार्य के प्रति लापरवाही व अनियमितता तथा उदासीनता आज दिनांक तक नहीं की है। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव सम्बन्धित पत्रावली के अनुसार उनके द्वारा अपीलाण्टा के विरूद्ध आज्ञा पारित करने से पूर्व विधिवत कार्यवाही अमल में लाई गई हो ऐसा सुस्पष्ट नहीं होता है।

6. राज्य सरकार के निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं के परिपत्र कमांक प. 11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/68163–647 दिनांक 23.07.2015 के बिन्दु संख्या 4(6) में अंकित है कि जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकष्मिक निरीक्षण किऐ जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाडी केन्द्र बंन्द पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित मानदेय कार्यकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ, संक्षिप्त जांच उपरान्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाऐगा। निर्णय से सम्बन्धित निरीक्षण कर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा।

7. अतः उपरोक्त परिपत्र के प्रकाश में विधिवत अपीलाण्ट मानदेय कार्यकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ, संक्षिप्त जांच उपरान्त निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा